सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास

09
अध्याय

समता युक्त विकास 1960 के दशक से ही भारतीय आर्थिक नीति का केंद्र रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2020 तक भारत आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे युवा राष्ट्र होगा। जहां इस ''युवा शक्ति'' ने भारत के सामने अपार अवसर पैदा किए हैं, वहीं इसके साथ कई चुनौतियां भी आन पड़ी हैं। इन युवाओं को स्वास्थ्य, उपयुक्त शिक्षा और यथोचित कौशल की जरूरत होगी जिससे ये देश की अर्थव्यवस्था में पूरी-पूरी सहभागिता निभा सकें। कतिपय वैश्विक आघातों के बावजूद, भारत ने कल्याणकारी गतिविधियों–खासकर साधनहीन आबादी के लिए व्यय करने में कभी कोई समझौता नहीं किया है। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की सफलता, संस्थागत निकायों की शक्ति में निहित होने के साथ-साथ व्यापक तौर पर सुदृढ़ सरकारी सेवा प्रदाय प्रणालियों और जनता की मन:स्थिति और मानसिकता पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में, परिव्ययों को परिणाम में बदलना सुनिश्चित किए जाने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका है। हालांकि निर्धनता उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की गई है, फिर भी अभी काफी कुछ हासिल किया जाना है। सरकार को सिविल सोसाइटी, मीडिया तथा अन्य सहभागियों के साथ मिलकर समाज की पितृसतात्मक मन:स्थिति को बदलने और महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की जरूरत है ताकि वे अपनी क्षमता को समझ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

9.2 राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, 2001-11 स्वाधीन भारत का पहला दशक है जब आबादी की चाल के साथ-साथ गिरती जनन क्षमता ने आबादी की निवल वृद्धि को धीमा किया है। इस तरह, जनसंख्या में हुई निवल वृद्धि (2001-2011 के बीच) पूर्ववर्ती दशक में हुई वृद्धि से 0.86 मिलियन कम रही। वर्तमान में, विश्व के प्रत्येक छ: लोगों में लगभग छठा व्यक्ति भारतीय है। प्रत्यक्ष पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) (2013) के आंकड़ों के अनुसार, 1971 से 1981 के दौरान देश की आबादी में 0-14 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी का हिस्सा 41.2 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 38.1 प्रतिशत रह गया था और 1991 से 2013 के दौरान यह अनुपात 36.3 प्रतिशत से घटकर 28.4 प्रतिशत रह गया है। दूसरी ओर, आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात (15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग) अथवा भारत का ''जनसांख्यिकीय लाभांश'' 1971 से 1981 के दौरान 53.4 प्रतिशत से बढ़कर 56.3 और 1991 से 2013 के दौरान 57.7 प्रतिशत से बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गया है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के परिणामस्वरूप वयोवृद्ध आबादी (60 वर्ष से ऊपर) की प्रतिशतता बढ़कर इन्हीं दो अवधियों में क्रमश: 5.3 से बढ़कर 5.7 और 6.0 से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है।

9.3 श्रम शक्ति की यह वृद्धि दर 2021 तक जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक बनी रहेगी। भारतीय श्रम रिपोर्ट (टाइम लीज़ 2007) के अनुसार, 2025 तक श्रम शक्ति में 300 मिलियन युवा शामिल होंगे और अगले तीन वर्षों में विश्व के कुल श्रमिकों में 25 प्रतिशत श्रमिक भारतीय होंगे। जनसंख्या अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2020 में भारत में आबादी की औसत आयु विश्व में न्यूनतम होगी, जो चीन और संयुक्त राज्य अमरीका के 37, पश्चिमी यूरोप के 45 और जापान के 48 की तुलना में भारत में न्यूनतम 29 वर्ष होगी। परिणामस्वरूप, जहां एक ओर, वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2020 तक लगभग 56 मिलियन युवा आबादी की कमी से जूझ रही होगी, वहीं दूसरी तरफ भारत अकेला ऐसा राष्ट्र होगा जहां 47 मिलियन की युवा शक्ति अतिरिक्त रूप से उपलब्ध होगी (शिक्षा, कौशल विकास तथा श्रम शक्ति रिपोर्ट, (2013-14) खंड-III श्रम-ब्यूरो, 2014)।

9.4 इसलिए, मुख्य मुद्दा सिर्फ रोजगार मुहैया कराने का ही नहीं है, बल्कि भारत में श्रम शक्ति की रोजगारपरकता को बढ़ाने का भी है। रोजगार-परकता आखिरकार ज्ञान और कौशल पर आश्रित है जिसे स्तरीय शिक्षा और गहन प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जा सकता है। अत: इस दिशा में समस्या का कोई भी समाधान इन उद्देश्यों को पूरा करने वाली सुव्यवस्थित शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था पर ही आधारित होगा। निम्न स्तरीय शिक्षा के कारण निम्न रोजगारपरकता की समस्या इस वजह से और भी गहरी हो जाती है कि बहुत कम विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा का विकल्प चुनते हैं।

शैक्षिक चुनौतियां

9.5 हालांकि 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार देश में केवल 73 प्रतिशत साक्षरता ही प्राप्त की जा सकी है, महिला साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 80.9 प्रतिशत की पुरूष साक्षरता की तुलना में 64.6 प्रतिशत पर महिला साक्षरता अभी भी कमतर बनी हुई है, पर पुरूष साक्षरता की 5.6 प्रतिशतांक की वृद्धि दर की तुलना में महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशतांक वृद्धि हुई। भारत में गुणवत्तापरक तथा प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने के लिए बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2010 में अधिनियमित किया गया था। आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नामोद्दिष्ट स्कीम सर्वशिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) है। एस.एस.ए. के ढांचे में बदलाव किए गए हैं ताकि शैक्षिक सत्र 2014-15 से गैर सरकारी तथा गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को कम से कम 25 प्रतिशत कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चों को दाखिला देने में आए खर्च की भरपाई के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को शामिल किया जा सकेगा। डी.आई.एस.ई. (जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) के अनुसार 2007-08 और 2013-14 के बीच, प्राथमिक स्कूलों में कुल नामांकन 2011-12 के 134 मिलियन से बढ़कर 137 मिलियन हो गया था और 2013-14 में यह घटकर 132 मिलियन रह गया था जबकि अपर प्राथमिक नामांकन 51 मिलियन से बढ़कर 67 मिलियन हो गया। यह मानव आबादी के बदलते खाके के अनुरूप है। भारत ने नामांकन और वर्द्धित हार्ड और सॉफ्ट शिक्षा संरचना (स्कूलों, अध्यापकों तथा अन्य अकादमिक सहायक स्टाफ) के मानकों को करीब-करीब हासिल कर लिया है।

9.6 तथापि, शिक्षा प्रणाली के समग्र मानक ग्लोबल मानकों से काफी नीचे ही बने हुए हैं; पीसा-(अन्तर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम) -2009 के नतीजों ने तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को 74 भागीदारों में 72वें तथा 73वें क्रम पर रखा है, जो सिर्फ किर्गीजस्तान से ऊपर है। यह हमारी शिक्षा में व्याप्त अन्तराल को दर्शाता है। पीसा जिसमें 15 वर्ष के आयु वर्ग के ज्ञान और कौशल को उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता का आकलन करने के लिए तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर मापा जाता है, ने दोनों राज्यों को रैंक में सबसे नीचे रखा है जिसमें गणित और विज्ञान में प्राप्त अंक ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के औसत से भी कहीं कम रहे है जबकि शंघाई-चीन का रैंक शीर्ष पर है। इसके बाद सिंगापुर का स्थान आता है। रूसी परिसंघ अड़तीसवें स्थान पर है। ''जिन देशों में अनिवार्य स्कूली शिक्षा के समापन के नजदीक विद्यार्थी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, वे इन विद्यार्थियों द्वारा स्कूल से आगे चलकर युवावस्था में भी अपना अग्रणी स्थान बनाए रखते हैं.... निकृष्ट साक्षरता और अंकगणितीय कौशल के साथ स्कूलों से निकलने वाले युवाओं की कार्यदक्षता में सुधार लाने के लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद और प्रशिक्षण प्रणालियों एवं कार्यस्थलों पर भी दखल कार्रवाई करने की पर्याप्त गुंजाइश है।''[1] जाहिर है इसका नीतिगत समाधान यही है कि शिक्षा में इनपुट के बजाए आउटपुट पर जोर दिया जाए और साथ ही गुणवत्तापरक शिक्षा और कौशल विकास अवसंरचना पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाए (बॉक्स 9.1)। 2012 में भारत ने पीसा में भाग नहीं लिया था।

9.7 एएसईआर (शिक्षा की प्रास्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट)के निष्कर्ष वर्ष 2005 से ग्रामीण भारत में 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग में पठन-पाठन के कम स्तरों की जानकारी देते रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये आरंभिक स्तर की परीक्षाएं हैं (साधारण 2 अंकीय-आगे ले जाने-घटाव और भाग करने की योग्यता), जिनके बिना स्कूली व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

9.8 बदलती हुई जनसांख्यिकीय स्थितियों और बच्चों की घटती आबादी के चलते, पिरामिड की बुनियाद पर मानव पूंजी की अपर्याप्तता के कारण मूलभूत कौशलों की राह में मौजूद बड़ा अंतराल भारत के विकास की बड़ी अड़चन बन सकता है। पढ़ने-लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए ''पढ़े भारत-बढ़े भारत'' नामक पहल एक उत्तम कदम है। तथापि, इस प्रयास की सफलता के लिए यह जरूरी होगा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इस प्रक्रिया में ज्यादा शामिल किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए।

बॉक्स 9.1 : स्कूली शिक्षा परिणाम : मानव आबादी के लाभ बटोरने हेतु महत्वपूर्ण अवदान

i. ए.एस.ई.आर. का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि चाहे सरकारी हो या निजी स्कूल, पूरे देश में पठन-पाठन का स्तर सुधरा नहीं है। **(चित्र 9.1)**

ii. स्कूलों में नामांकन के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:– 2005 में निजी स्कूलों में केवल 16 प्रतिशत बच्चों ने दाखिला लिया था, यह प्रतिशत बढ़कर करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मौजूदा रूझान दर्शाते हैं कि चालू दशक के अंत तक, यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। 2007-08 और 2013-14 के दौरान, सरकारी स्कूलों (प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी दोनों) में दाखिला 133.7 मिलियन में 11.7 मिलियन की घटोतरी के साथ 121 मिलियन रह गया था, जबकि निजी स्कूलों में यह दाखिला 27 मिलियन बढ़ा और 51 मिलियन से बढ़ कर 78 मिलियन जा पहुंचा। एक विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ही इसका कारण है। वहीं विरोधाभासी तौर पर, ग्रामीण इलाकों में यही स्थिति देखी गई है, जहां एस.एस.ए. या अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए निधियां दी जाती हैं।

iii. कुल 557 जिलों में 16,497 गांवों में 569,229 ग्रामीण बच्चों के बीच किए गए सर्वेक्षण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- **मूल पठन-पाठन स्तर में मामूली सुधार:** कक्षा पांच में पढ़ने वाले बच्चे जो दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम थे, इनका प्रतिशत 2013 के 47.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 48.1 प्रतिशत हो गया है।
- **अंकगणितीय स्तर में गिरावट:** दो अंकों की साधारण घटाव की समस्या का हल करने वाले कक्षा III के बच्चों का प्रतिशत 2013 में 26.1 प्रतिशत था जो घटकर 2014 में 25.3 प्रतिशत रह गया। कक्षा II के वे बच्चे, जो 9 तक के अंक भी नहीं पहचान पाते थे, की संख्या 2009 में 11.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2014 में 19.5 प्रतिशत हो गई।
- **बालिकाओं के लिए शौचालयों की बेहतर व्यवस्था:** शौचालय (बालिका+बालक) रहित विद्यालयों की प्रतिशतता 2013 के 7.2 प्रतिशत से घटकर 2014 में 6.3 प्रतिशत हो गई है। स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक (बिना ताला लगे तथा उपयोग के योग्य) शौचालयों की संख्या बढ़ी है। यह 2010 के 32.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 53.3 प्रतिशत तथा और 2014 में बढ़कर 55.7 प्रतिशत हो गई।
- **स्कूलों में पुस्तकालयों में वृद्धि:** बिना पुस्तकालय वाले स्कूलों का प्रतिशत 2013 के 22.9 से केवल एक प्रतिशतांक कम होकर 2014 में 21.9 प्रतिशत हो गया।
- **छात्र-अध्यापक अनुपात का अनुपालन:** छात्र-अध्यापक अनुपात के आर.टी.ई. मानकों का अनुपालन करने वाले स्कूलों का अनुपात 2013 के 45.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 49.3 प्रतिशत हो गया है।
- **पेयजल सुविधाओं में सुधार:** स्वच्छ और पेयजल की सुविधा विहीन स्कूलों का अनुपात 2010 के 17.0 प्रतिशत से घटकर 2013 में 15.2 प्रतिशत रह गया और आगे 2014 में यह घटकर 13.9 प्रतिशत रह गया है लेकिन पीने योग्य स्वच्छ पानी की उपलब्धता वाले स्कूलों का अनुपात 2013 के 73.8 प्रतिशत से केवल मामूली सा सुधर कर 2014 में 75.6 प्रतिशत हो गया है।
- **ग्रामीण भारत में अवरूद्ध दाखिला:** पिछले एक वर्ष में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला करने का प्रतिशत 96.8 प्रतिशत पर खड़ा है, अर्थात् स्कूलों में दाखिला न लेने वाले बच्चों का प्रतिशत अभी भी 3.3 प्रतिशत है।
- **निजी स्कूलों में बढ़ता दाखिला:** निजी स्कूलों में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का दाखिला वर्ष 2013 में 29.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2014 में 30.8 प्रतिशत हो गया है। निजी स्कूलों में सर्वाधिक बच्चों का दाखिला करने वाले राज्यों में सर्वोपरि केरल है, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान हैं।
- **कक्षा-अध्यापक अनुपात (सी.टी.आर.) में गिरावट:** सी.टी.आर. से संबंधित आर.टी.ई मानकं पूरा करने वाले स्कूलों का प्रतिशत 2013 में 73.8 प्रतिशत था जो और घटकर वर्ष 2014 में 72.8 प्रतिशत रह गया।
- **बच्चों की हाजिरी में गिरावट:** प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही स्तरों पर बच्चों की हाजिरी लगातार घटी है। वर्ष 2009 में, यह प्राइमरी स्कूल में 74.3 और अपर प्राइमरी स्तर में 77 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2014 में यह प्राइमरी स्कूल में 71.4 प्रतिशत तथा अपर प्राइमरी स्कूल में 71.1 प्रतिशत थी।
- **अलग-अलग कक्षाओं के लिए एक ही कमरा:** वर्ष 2014 में लगभग 63 प्रतिशत स्कूलों में कक्षा-II के छात्र और लगभग 57 प्रतिशत स्कूलों में कक्षा IV के छात्र एक या अधिक कक्षाओं के छात्रों के साथ ही बिठाए जाने की सूचना मिली है; यह प्रतिशत वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है।

चित्र 9.1: कक्षा V के छात्रों की पढ़ने और गणितीय क्षमता एएसईआर 2007-2014 अखिल भारतीय ग्रामीण

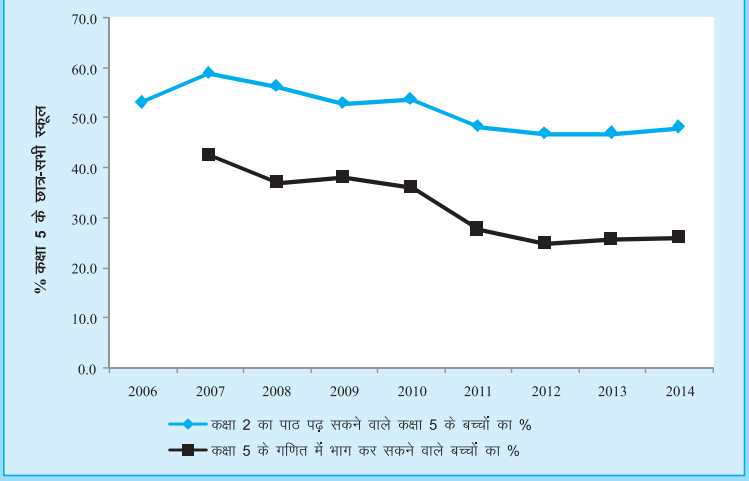

स्रोत: शिक्षा की प्रास्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (ग्रामीण) 2014–अनंतिम परिणाम

9.9 हालांकि आर.टी.ई. अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 बच्चों को रोजगार की बजाय शिक्षा में लाने के लिए प्रख्यापित किए गए थे, इन दोनों अधिनियमों के कारण 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के हाथ से अवसर निकल जाते हैं। भारत में इस श्रेणी के युवाओं की संख्या 100 मिलियन है। चूंकि अधिकतर व्यावसायिक कौशल कार्यक्रमों में दाखिले के लिए शैक्षिक तथा आयु संबंधी अर्हताएं होती हैं और 18 वर्ष की आयु से पहले इनमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, अत: इस आबादी के अधिकांश के असंगठित क्षेत्र में जाने की संभावना हो जाती है। अवसरों के बीच व्याप्त अंतरालों का सम्यक-समाधान करने और असंगठित क्षेत्र में उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए ज्ञान अथवा कौशल की किस्मों का शोध किए जाने की जरूरत है।

9.10 इसके साथ ही, प्राथमिक स्कूलों में दाखिला-वृद्धि के समनुरूप, सेकेन्डरी स्कूलों की क्षमता के निर्माण करने के लिए मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.) योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.), मॉडल-स्कूल स्कीम (एम.एस.एस.) और साक्षर-भारत (एसबी) प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए गए हैं। एस.बी. महिला साक्षरता पर केंद्रित स्कीम है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव समस्या को घनीभूत करता है। भावी अध्यापकों को समय रहते करियर का विकल्प मुहैया कराने के लिए, शिक्षक अध्यापकों के संवर्ग को सुदृढ़ बनाने और शिक्षक-शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के सभी रिक्त पदों को भरे जाने के लिए चार वर्षीय एक नया समेकित कार्यक्रम, नामत: बी.ए./बी.एड. और बी.एससी/बी.एड. शुरू किया गया है।

9.11 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या के संदर्भ में देखें तो भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 2005-06 में 350 विश्वविद्यालय और 16982 महाविद्यालय थे जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 713 विश्वविद्यालय और 36,739 महाविद्यालय हो गए हैं और तथा डिप्लोमा स्तर के 11,343 संस्थाएं हो गई हैं। आज मांग को आपूर्ति के साथ सुमेलित किए जाने और रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा नीति में सम्यक परिवर्तन लाए जाने की जरूरत है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा को भविष्यदृष्टा होना होगा और ऐसे क्षेत्रों की परिकल्पना करनी होगी जो भविष्य में ज्यादा रोजगार जुटा सकें और तदनुसार, छात्रों को यथोचित पाठ्यक्रम मुहैया करा सकें। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) 2005-06 के लगभग 11.6 प्रतिशत से लगभग दोगुना होते हुए 2012-13 में (अनन्तिम तौर पर) 21.1 प्रतिशत हो गया अर्थात् 2005-06 के 14.3 मिलियन की तुलना में 2012-13 में 29.6 मिलियन छात्रों ने उच्च शिक्षा में नामांकन करवाया। लेकिन, चूंकि शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पहुंचने वाले लोग कुछ ही होते हैं जिसके कारण शिक्षा के उच्चतर स्तर में विशेषत: सेकेन्डरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं से ड्रॉपआउट की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और इसके परिणामस्वरूप पिरामिड की बुनियाद पर नौकरी तलाशने वाले अपेक्षया कम शिक्षित और कम कुशल युवाओं का जमावड़ा जुट जाता है। इस तरह शिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशतता शिक्षा के उच्चतर होने के साथ-साथ गिरती जाती है।

रोजगार संबंधी मुद्दे

युवाओं का कौशल विकास

9.12 एक ओर तो कौशल विकास करने और दूसरी ओर उन कौशलों का प्रयोग करने की दोहरी चुनौतियां हैं क्योंकि कौशल का उपयोग न किए जाने का अर्थ है उन्हें गंवा देना। श्रम ब्यूरो रिपोर्ट, 2014 के अनुसार, भारत में औपचारिक तौर पर कुशल कार्यबल का आकार बहुत छोटा–तकरीबन 2 प्रतिशत है; यह संख्या छोटे देशों यथा-दक्षिण कोरिया और जापान से बिल्कुल उलट है जहां रिपोर्ट के अनुसार कुशल कार्यबल क्रमश: 96 तथा 80 प्रतिशत है। प्राप्त सूचना के मुताबिक, अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के करीब 6.8 प्रतिशत लोग ही हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त कर रहे हैं।

9.13 वर्ष 2013 और 2022 के बीच की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्रों में 120 मिलियन कार्यकुशल लोगों की जरूरत है। कौशल विकास की मौजूदा क्षमता बिल्कुल अपर्याप्त है और देश की कौशल संबंधी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षमता को शीघ्र बढ़ाने की जरूरत है। भारत के कार्यबल में कमतर कौशल स्तर का कारण देश में औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा संरचना का अभाव है जिसके साथ गुणवत्ता के बढ़ते हुए अन्तर, बढ़ते हुए हाई स्कूल ड्रॉपआउट मामलों, अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता तथा कौशल विकास को लेकर नकारात्मक धारणाओं एवं ''उद्योग हेतु तैयार'' कौशलों के अभाव की स्थिति बनी हुई है (श्रम ब्यूरो रिपोर्ट 2014)। उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में सुलभता, साम्यता, गुणवत्ता, नवोन्मेष आदि को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हालिया पहलकदमियों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूस), तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार कार्यक्रम (टेक्विप) तथा राष्ट्रीय कौशल शिक्षा संरचना (एन.एस.क्यू.एफ.) आदि प्रमुख हैं।

9.14 इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक पृथक कौशल विकास और उद्यमिता विभाग बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू तथा वैश्विक स्तर की कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, ग्रामीण निर्धन युवाओं की क्षमता निर्माण हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों तथा उनकी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तैयार किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) प्लेसमेंट से जुड़ी एक कौशल विकास स्कीम है जो कि विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए ही तैयार की गई है। डीडीयू-जीकेवाई स्कीम के तहत अब तक कुल 51,956 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इनमें से कुल 28,995 प्रशिक्षणार्थी 2014-15 के दौरान नवंबर तक नौकरी पा चुके हैं।

9.15 अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अन्य नए कार्यक्रमों में ''नई मंज़िल'' - जिनमें स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा तथा उनका कौशल विकास; अल्पसंख्यक समुदाय के पारम्परिक दस्तकारों व शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण और पारम्परिक कलाओं/शिल्प के संरक्षण के लिए ''उस्ताद'' (विकास हेतु परम्परागत कलाओं तथा शिल्पों में प्रशिक्षण व उनके कौशल स्तर में वृद्धि करना); महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ''नई रोशनी'' तथा अल्पसंख्यक युवाओं की उद्यमिता विकास की दृष्टि से शुरू किया गया ''मानस'' शामिल है।

रोजगार की मंद विकास दर

9.16 चिन्ता का एक मुख्य कारण रोजगार की मिश्रित वार्षिक विकास दर (सी.ए.जी.आर.) में गिरावट होना रहा है जो 1999-2000 से 2004-2005 के दौरान के 2.8 प्रतिशत के मुकाबले गिरकर वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान 0.5 प्रतिशत रह गई है, जबकि इन्हीं अवधियों में, श्रम-शक्ति में सी.ए.जी.आर. क्रमशः 2.9 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत रही थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के आंकड़ों के अनुसार, 1999-2000 से 2004-05 के दौरान सामान्य प्रास्थिति आधारित रोजगार (यू.एस.) 398.0 मिलियन व्यक्तियों 59.9 मिलियन से बढ़कर 457.9 मिलियन हो गया, जबकि इसी अवधि में श्रम शक्ति 407.07 मिलियन से 62.0 मिलियन व्यक्ति बढ़कर 469.0 मिलियन हो गई। 2004-05 से 2009-10 के दौरान रोजगार सृजन में धीमी प्रगति की एक अवधि के बाद, 2009-10 से 2011-12 में इसमें इजाफा जरूर हुआ और इस दौरान उपलब्ध कार्यबल में 13.9 मिलियन की वृद्धि हुई। लेकिन यह वृद्धि बढ़ी हुई श्रम शक्ति (14.9 मिलियन व्यक्ति) के अनुरूप नहीं थी

सारणी 9.1 : भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति

प्रणाली	1999-2000	2004-05	2009-10	2011-12
	श्रम बल में शामिल व्यक्ति (मिलियन में)			
यू.एस.	407.0	469.0	468.8	483.7
सी.डी.एस.	363.3	417.2	428.9	440.4
	नियुक्त व्यक्ति तथा व्यक्ति दिवस (मिलियन में)			
यू.एस.	398.0	457.9	459.0	472.9
सी.डी.एस.	336.9	382.8	400.8	415.7
	बेरोजगारी की दर (प्रतिशत में)			
यू.एस.	2.2	2.3	2.0	2.2
सी.डी.एस.	7.3	8.2	6.6	5.6

स्रोत : भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर एन.एस.एस.ओ. द्वारा आयोजित कई सर्वेक्षण

टिप्पणी : यू.एस. (प्रधान + अनुषंगी) व्यक्तिशः रोजगार को मापता है, जबकि सी.डी.एस. व्यक्ति-दिवसों को मापता है।

(सारणी 9.1)। मौजूदा दैनिक प्रास्थिति (सी.डी.एस.) के आधार पर, रोजगार में सीएजीआर 1.2 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत था, जबकि इन्हीं अवधियों में कार्यबल में सीएजीआर क्रमशः 2.8 तथा 0.8 प्रतिशत रहा था।

9.17 कुछ संरचनागत बदलाव भी हुए हैं: पहली बार, कुल रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी घटकर आधी से कम हो गई है, (2004-05 के 58.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 48.9 प्रतिशत), जबकि द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी 2004-05 में यथा-विद्यमान 18.1 प्रतिशत और 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में क्रमशः 24.3 प्रतिशत और 26.8 प्रतिशत हो गई है। स्वरोजगार अभी भी सर्वोपरि बना हुआ है और कुल रोजगार में इसकी हिस्सेदारी 52.2 प्रतिशत है। अहम बात में यह है कि कामगारों का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी भी कम आय सृजन वाली गतिविधियों से ही जुड़ा हुआ है।

9.18 ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं में रोजगार की अनुपलब्धता जैसे कई प्रमुख और चिन्ताजनक मसले हैं। हालांकि ग्रामीण पुरुषों के रोजगार की स्थिति महिलाओं की स्थिति के अपेक्षया थोड़ी बेहतर है, पर दीर्घकालिक रुझानों से रोजगार में मंद और अवरूद्ध स्थिति का पता चलता है। ऐसे रूझानों को देखते हुए, ग्रामीण इलाकों में आजीविका के तरीकों को कृषि-भिन्न करके विविध रूप अपनाए जाने की जरूरत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उत्पादक रोजगार सृजन में और अधिक सुधार लाने के लिए, एक गहन और सहभागिता योजना नामक कार्यक्रम (आई.पी.पी.ई.) आरंभ किया गया है जिसमें सहभागी

ग्रामीण मूल्यांकन प्रविधियों का उपयोग करते हुए 2500 चुनिंदा पिछड़े ब्लाकों में वित्त वर्ष 2015-16 हेतु श्रम बजट तैयार किया जाएगा। कृषि तथा अन्य सहायक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी जिले में कुल निर्माण कार्यों का कम-से-कम 60 प्रतिशत हिस्सा, लागत के संदर्भ में, उत्पादक सम्पदा के सृजन से सम्बद्ध हो और इसे भूमि, जल और वृक्षों के विकास-विस्तार आदि के जरिए कृषि तथा इसके अनुषंगी क्षेत्रों से जोड़ा जा सके।

9.19 भारत में गुणवत्तापरक रोजगार सृजन की रफ्तार में सबसे बड़ी बाधा कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की कम हिस्सेदारी का होना है। हालांकि एन.एस.एस.ओ. के अड़सठवें दौर (2011-12) से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि हुई है जो 2009-10 के 11 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 12.6 प्रतिशत हो गई है। यह बात इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 ने 2022 तक 100 मिलियन नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के विकास को बढ़ावा देना भी नौकरियों के सृजन की दृष्टि, एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि भारत के विकास एजेंडे का एक अहम स्तम्भ माना गया है। यद्यपि 2004-05 और 2011-12 के बीच कुल औपचारिक रोजगार में 9.5 मिलियन की वृद्धि हुई जो 435.7 मिलियन तक जा पहुंची, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार 5.8 मिलियन घटोत्तरी के साथ 390.9 मिलियन रह गया है जिसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में रोजगार में 15.2 मिलियन का इजाफा हुआ है। परिणामस्वरूप, असंगठित श्रम क्षेत्र की हिस्सेदारी कुल रोजगार में 87 प्रतिशत से घटकर 82.7 प्रतिशत रह गई है (सारणी 9.2)

बॉक्स-9.2 : भारत में रोजगार पर त्रैमासिक-सर्वेक्षण रिपोर्ट

अप्रैल-जून, 2014 की अवधि के लिए बाईसवां त्रैमासिक त्वरित रोजगार सर्वेक्षण जुलाई, 2014 में आयोजित किया गया था। इसमें जून, 2014 में समाप्त तिमाही में कुल 2200 नमूना इकाइयों को कवर किया गया था। जून 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान, पिछले चार सर्वेक्षणों से प्राप्त नतीजों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि आठ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में लगभग 0.4 मिलियन का इजाफा हुआ है (चित्र 9.2)। समग्र स्तर पर, मार्च 2014 की तुलना में जून, 2014 को समाप्त तिमाही में 182,000 (लगभग 0.2 मिलियन) नौकरियों की वृद्धि हुई है। उद्योगों के स्तर पर देखें तो, सबसे बड़ी छलांग कपड़ा तथा परिधान क्षेत्र ने मारी है, जहां मार्च 2014 की तुलना में जून 2014 को समाप्त तिमाही में 69,000 नौकरियां बढ़ी हैं, इसके बाद 51,000 नौकरियों वाला आई.टी./बी.पी.ओ. क्षेत्र, 47,000 नौकरियों वाला धातु क्षेत्र, प्रत्येक में 7,000 नौकरियों वाला चमड़ा और मूल्यवान रत्नों एवं आभूषण और 1,000 नौकरियों वाला ऑटोमोबाइल क्षेत्र शामिल है।

चित्र 9.2: आठ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार सृजन (हजार में) (जून 2013 - जून 2014)

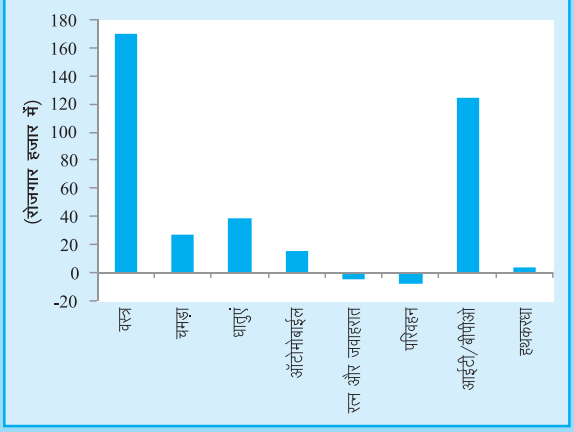

स्रोत : श्रम ब्यूरो

सारणी 9.2 : 2011-12 और 2004-05 में संगठित-असंगठित क्षेत्रों में औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

	संगठित	असंगठित	जोड़
औपचारिक	45.4 (52)	0.4 (0.3)	8.1 (7.3)
अनौपचारिक	54.6 (48)	99.6 (99.7)	91.9 (92.7)
कुल	**17.3 (13)**	**82.7 (87)**	**100**

स्रोत : नीति आयोग

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 तथा 2011-12 के लिए अनुमानित जनसंख्या के आकलन में 2001 तथा 2011 के बीच जनगणना की विकास दर की दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि दर का उपयोग किया गया है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 2004-05 के हैं।

9.20 एनएसएसओ के दौर पंचवार्षिक होते हैं और इसलिए देश में रोजगार/बेरोजगारी की स्थिति संबंधी सूचना पांच वर्ष के अंतराल पर ही उपलब्ध होती है। बीच की अवधि में आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए श्रम ब्यूरो वार्षिक आधार पर पारिवारिक रोजगार- बेरोजगारी संबंधी सर्वेक्षण कराता है और यह वर्ष 2009 से भारत के चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभावों के बारे में त्रैमासिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रकाशित कर रहा है। रोजगार संबंधी नवीनतम त्रैमासिक सार, जुलाई 2014 के परिणाम (बॉक्स 9.2) पहले सर्वेक्षण के बाद से रोजगार में 3.5 मिलियन की वृद्धि दर्शाते हैं।

9.21 सामान्यतया यू.एस. बेरोजगारी दर को संदर्भाधीन वर्षों में चिरकालिक सामान्य बेरोजगारी को मापने के लिए एक मानक माना जाता है, जबकि सीडीएस चिरकालिक तथा अदृश्य दोनों ही बेरोजगारियों को शामिल करते हुए बेरोजगारी को नापने का एक पैमाना है। इस तरह, हालांकि भारत में चिरकालिक सामान्य बेरोजगारी 2 प्रतिशत की दर पर मंडराती रही है, निरपेक्ष संदर्भों में, यह महत्वपूर्ण बात

है। बेरोजगार लोगों की संख्या (यूएस के अंतर्गत) 2004-05 में 11.3 मिलियन थी जो घटकर 2009-10 में 9.8 मिलियन रह गई किन्तु पुन: बढ़कर 2011-12 में 10.8 मिलियन हो गई। तथापि, सीडीएस संख्या के आधार पर, बेरोजगार व्यक्ति दिवस 2004-05 में 34.3 मिलियन थे जो घटकर 2009-10 में 28.0 मिलियन रह गए और 2011-12 में और घटकर 24.7 मिलियन पर पहुंच गए। इस तरह, चिरकालिक और अदृश्य बेरोजगारी में 2004-05 में 8.2 प्रतिशत के मुकाबले 2011-12 में 5.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई है (सारणी 9.1)। 2009-10 और 2011-12 के बीच रोजगार में सिर्फ मामूली वृद्धि होने के बावजूद बेरोजगारी के इस स्तर में गिरावट का एक कारण बड़े युवा वर्ग का श्रम बाजार में शामिल होने की बजाय शिक्षा के विकल्प का चयन करना हो सकता है। यह उच्चतर शिक्षा में शिक्षा के लिए नामित छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि से भी झलकता है जो 1990-91 में 4.9 मिलियन से बढ़कर 2012-13 में 29.6 मिलियन (अनंतिम) हो गई थी।

बॉक्स 9.3 : श्रम सुधार उपाय

(1) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 को 18.12.2014 को संशोधित किया गया था ताकि इसे उद्योगों और युवाओं के हित में अनुक्रियाशील बनाया जा सके। प्रशिक्षुओं को नियोजित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में एम.एस.एम.ई. के समर्थन व सहयोग की दृष्टि से एक प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। सरकार एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए एकल और समान कानून लाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रही है ताकि बड़े पैमाने पर नौकरियों के सृजन के साथ-साथ उद्योगों की उत्पादकता और उनकी क्रियात्मक दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

(2) शिकायतों के यथा समय निवारण और औद्योगिक विकास के अनुरूप वातावरण बनाने की दृष्टि से ''श्रम सुविधा पोर्टल'' नाम से एक एकीकृत श्रम पोर्टल स्कीम शुरू की गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:- (i) ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाली लगभग 0.7 मिलियन इकाइयों को विशिष्ट श्रम पहचान नम्बर (लिन) आबंटित करना; (ii) उद्योगों द्वारा अलग-अलग 16 रिटर्नों की बजाए स्वत: प्रमाणित, सरलीकृत एकल ऑनलाइन फार्म भरना; (iii) जोखिम-आधारित मानकों के अनुरूप कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा पारदर्शी श्रम निरीक्षण स्कीम शुरू करना और श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के 72 घंटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

(3) **कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) परियोजना ''पंचदीप'' के अंतर्गत:**

विभिन्न प्रचालनों, विशेषकर नियोक्ता और बीमित व्यक्ति को दी जाने वाली सेवाओं में कार्य दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक और बाह्य प्रक्रियाओं का डिजिटाइजेशन। इस पोर्टल में कर्मचारी को अपना मासिक अंशदान फाइल करना, अस्थायी पहचान पत्र बनाना, और ऑनलाइन मासिक अंशदान संबंधी चालान बनाना, सेवाओं की द्रुत और आसान सुपुर्दगी के लिए बीमित व्यक्ति को पहचान कार्ड जारी करना सुसाध्य बनाया गया है। आई.पी.पोर्टल द्वारा कोई भी बीमित व्यक्ति नियोक्ता द्वारा प्रदत्त/देय भुगतानों, उनके पारिवारिक विवरणों, विविध लाभों संबंधी उनकी हकदारी तथा अपने दावों की प्रास्थिति को जांच सकता है। सेवाओं में इनके समेकन से कारोबार करने में आसानी की सहजता बढ़ेगी और लेन-देन लागत में भी कमी आएगी।

(4) **कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत:** 42.3 मिलियन ई.पी.एफ. अंशदाताओं को सम्पूर्ण सूचना-ब्यौरे का डिजिटाइजेशन तथा प्रत्येक सदस्य को सार्वभौमिक खाता संख्या (यू.ए.एन.) का आबंटन,जिससे सदस्यों के खातों की सुवाहयता में वृद्धि होगी। यू.ए.एन. को बैंक खातों, आधार कार्ड तथा के.वाई.सी. के अन्य ब्यौरे से जोड़ा जा रहा है ताकि वित्तीय समावेशन को और व्यापक और प्रभावी बनाया जा सके। ई.पी.एफ. खातों की ऑनलाइन सीधी पहुंच से सदस्य न केवल अपने पिछले खाते देख सकेंगे बल्कि इससे उन्हें समेकित करने में भी आसानी होगी। ऑनलाइन पेंशनभोगी अपने खातों और उनके तहत होने वाले संवितरण ब्यौरों को जांच सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मजदूरी सीमा को बढ़ाकर 01.09.2014 से 15000/- रुपए प्रतिमाह निश्चित किया गया है। इसी प्रकार 01.09.2014 से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000/- रुपए नियत की गई है।

(5) **असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत एक योजना है। यह कैशलेस, स्मार्ट कार्ड आधारित स्वास्थ्य बीमा स्कीम है जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष की बीमा सुरक्षा के साथ-साथ मातृत्व लाभ आदि दिए गए हैं। आर.एस.बी.बाई को चरणबद्ध तरीके से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों के बीच लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

(6) **राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्-प्रबंधन सूचना प्रणाली (एन.सी.वी.टी.-एम.आई.एस.)** पोर्टल लांच किया गया है ताकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.आई.टी.), अप्रेन्टिसशिप स्कीम के कार्यकरण तथा सभी एनसीटीवी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आकलन/अधिप्रमाणन को सुप्रवाही बनाया जा सके।

(7) राष्ट्रीय करियर सर्विस (एन.सी.एस.) मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण के लिए शुरू की गई है ताकि नौकरियों से संबंधित विविध सेवाओं संबंधी सूचनाओं, यथा नौकरी के इच्छुक आवेदकों और नौकरियों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, कैरियर काउन्सलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल विकास, इन्टर्नशिप एवं अप्रेन्टिसशिप संबंधी सभी सूचनाएं आदि सभी सहूलियतें सबको सुलभ होंगी।

स्रोत : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम सुधार

9.22 भारत में औद्योगिक सद्भाव की स्थिति में हुआ अच्छा खासा सुधार इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि हड़तालों और तालाबंदी के कारण होने वाली मानव-दिवस की हानि जो 2009 में 17.6 मिलियन थी, घटकर 2011 में 14.46 मिलियन और आगे 2013 में यह संख्या घटकर 3.65 मिलियन (अनंतिम) तक सीमित रह गई और जनवरी 2014 से 9 दिसंबर 2014 तक यह और अधिक घटकर 1.79 मिलियन (अनंतिम) रह गई है।

9.23 श्रम कानूनों की बहुलता और उनके अनुपालन में व्याप्त कठिनाइयां ही भारत के औद्योगिक विकास की राह में हमेशा सबसे बड़ी अड़चन मानी गई है। अनुपालन को बनाए रखने और कारोबार करने में आसानी लाने की दृष्टि से, सरकार ने कई श्रम सुधार कानून शुरू किए हैं (बॉक्स-9.3)। इस तरह, श्रम कानूनों को बदलते हुए श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप बनाने के लिए श्रम कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। पृथकत: देखें तो राजस्थान सरीखे कई राज्यों ने तीन श्रम कानूनों में कई अहम सुधार किए हैं, ये कानून हैं–औद्योगिक विवाद अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम और संविदा श्रम अधिनियम आदि।

स्वस्थ भारत की ओर

9.24 उल्लेखनीय है कि भारत की कुल जनन क्षमता दर (टी.एफ.आर.) लगातार घट रही है और अब यह 2.3 पर है; हालांकि राज्यवार विषमताएं अभी भी कायम हैं, गिरती हुई यह दर सभी राज्यों में दर्ज की गई है, जोकि आबादी की घटती हुई वृद्धि दर को प्रख्यापित करती है। (चित्र 9.3) में ब्रिक्स राष्ट्रों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त टीएफआर के तुलनात्मक रूझान दिए गए हैं। मातृत्व और शिशु उत्तरजीविता के संबंध में भारत सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) हासिल करने के लिए तैयार है। मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर) हेतु एमडीजी लक्ष्य 1,00,000 प्रति जीवित जन्म 140 है, जबकि भारत ने 2010-12 तक 178 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और वर्ष 2015 तक मातृत्व मृत्यु दर 141 तक पहुंचने का अनुमान है। 5 वर्ष की आयु से नीचे की मृत्यु दर (यू5एमआर) के मामले में, एमडीजी का लक्ष्य 42 है, जबकि भारत का यू5एमआर 52 है और यह 2015 तक 42 पहुंचने का अनुमान है। यह विशेषकर महत्वपूर्ण है क्योंकि 1990 में भारत का मातृत्व मृत्यु अनुपात (एमएमआर) और यू5एमआर अंतरराष्ट्रीय औसत से क्रमश: 47 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अधिक था। तथापि, मृत जन्म और नवजात शिशु मृत्यु की गिरावट दर में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण

चित्र 9.3: ब्रिक्स राष्ट्रों में टीएफआर

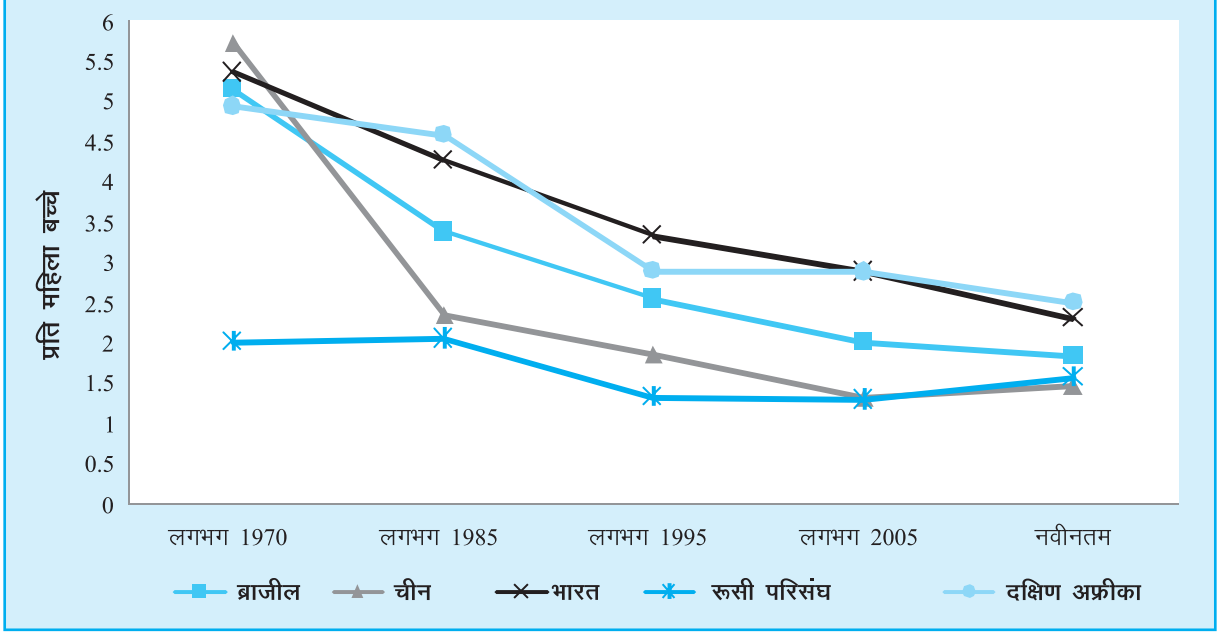

स्रोत : वर्ल्ड फर्टिलिटी डाटा, 2012, यूनाइटेड नेशनस, इकनामिक एंड सोशल अफेयर्स पापुलेशन डिवीजन, फर्टिलिटी एण्ड फैमिली प्लानिंग सेक्शन;

टिप्पणी : नवीनतम आंकड़ों के लिए संदर्भ वर्ष भिन्न-भिन्न हैं-दक्षिण अफ्रीका के लिए यह 2006, ब्राजील और चीन के लिए 2008, रूसी परिसंघ के लिए 2010 और भारत के लिए जनगणना आंकड़ों से लिया गया वर्ष 2011 है।

प्रयास आवश्यक है जो कुछ राज्यों में कमतर/स्थिर रहे है। हालांकि बेहतर देख-रेख सुलभ होने और सुविधाओं में सुधार के चलते, समग्र मृत्यु दर में गिरावट आ रही है, एसआरएस (2013) की रिपोर्ट बताती है कि मृत्यु के सभी मामलों का महत्वपूर्ण 30 प्रतिशत 0-4 वर्ष की आयु वर्ग में होता है; ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बालिकाओं के संबंध में यह प्रतिशतता अधिक है।

9.25 जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और मानव कल्याण के बीच सीधा संबंध होता है। दूषित पेय जल का उपयोग, मानवीय मल मूत्र का अनुचित निपटान, वैयक्तिक और खाद्य स्वच्छता की कमी और ठोस एवं द्रवीय कचरा का अनुचित निपटान भारत जैसे विकासशील देशों में होने वाले अनेक रोगों के प्रमुख कारण रहे हैं। इस संदर्भ में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2014 को किया गया जिसका उद्देश्य यह है कि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधाओं की पहुंच उपलब्ध कराकर और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवीय कचरा प्रबंध क्रियाकलापों की शुरूआत करके 2 अक्तूबर, 2019 तक तक ''भारत को खुले में शौच करने की प्रवृति से मुक्त (ओडीएफ)'' बना दिया जाए। बाक्स 9.4 में अच्छी परिपाटियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), जमीनी स्तर के कार्यान्वयन-कर्त्ताओं, प्रमुख संसाधन केन्द्र (केआरसी) के रूप में प्रतिष्ठित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, महिला समूहों सहित बहु एजेंसियों के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयासों के साथ एकजुट होकर; स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज जैसे अन्य राज्य विभागों के साथ मिलकर, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य क्रियाकलापों (आशा) को और आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में कारपोरेटों को शामिल किए जाने के भी दिशा-निर्देश मौजूद हैं।

9.26 ग्रामीण पेयजल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए उनके दूर-दराज/पर्वतीय इलाकों में अथवा जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, 20,000 सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

9.27 मिशन इंद्रधनुष नामक का शुभारंभ 25 दिसंबर, 2014 को किया गया है जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को कवर करना है जिन्हें कोई टीका नहीं लगाया गया है अथवा जिन्हें सात टीका निरोध्य रोगों जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हैपेटाइटिस बी शामिल है, से प्रतिरक्षण हेतु आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। प्रतिरक्षण कार्यक्रमों की गहन शुरूआत पहले चरण में इस संदर्भ में 201 अधिक महत्व के जिलों में की जाएगी और 2015 में द्वितीय चरण हेतु 297 जिलों को लक्षित किया जाएगा।

बॉक्स 9.4 : अच्छी परिपाटियों के उदाहरण

सिहोर जिले में इच्छावाड़ ब्लाक का मुंडला गांव–100 प्रतिशत स्वच्छ ग्राम

फरवरी, 2014 में मुंडला ग्राम में सभी के लिए जल, स्वच्छता और सफाई के वैश्विक अभियान की शुरूआत से पूर्व, गांव में लगभग चार काम चलाऊ शौचालय थे। 2 अक्तूबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, इस गांव को खुले में मलोत्सर्ग मुक्त ग्राम (ओडीएफ) घोषित किया गया। ग्रामवासियों के प्रयासों से इसे साफ और 100 प्रतिशत स्वच्छ ग्राम में परिवर्तित कर दिया गया है।

एशिया का सबसे स्वच्छ ग्राम

मेघालय में मोलीनांग एक ऐसा मॉडल है जो यह दिखाता है कि कैसे सामूहिक प्रयास एक गांव को पर्यटन के नक्शे पर ला सकते हैं। इस गांव में 80 परिवार हैं जिनमें से 29 परिवार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं। एशिया के सबसे स्वच्छ ग्राम पुरस्कार से नवाजे जाने के नाते इस गांव में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामवासियों ने वृक्षों पर बांस जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बने दो ट्री हाऊस भी निर्मित किए जो इस सुन्दर और स्वच्छ ग्राम का शानदार नजारा प्रस्तुत करते हैं और बंगलादेश के उन गांवों का भी विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो कुछ ही मील की दूरी पर हैं।

स्रोत : पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

9.28 संपूर्ण स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, पूर्व आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) विभाग को 9 नवंबर, 2014 से पूर्णरूपेण मंत्रलय बना दिया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (नाम) का मूलभूत उद्देश्य कम कीमत वाली आयुष सेवाओं और शैक्षिक प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। सितम्बर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के आह्वान को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा सकेगा।

9.29 स्वास्थ्य के अनेकानेक मानकों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सामाजिक और आर्थिक माहौल पर ध्यान देनेवाले निवारण एजेंडा के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में, अनेक

सारणी 9.3 गरीबों की संख्या और प्रतिशत*

वर्ष	गरीबी रेखा (रुपए में)		गरीबों की संख्या (मिलियन)			गरीबी का अनुपात (प्रतिशत)		
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़
2004-05	446.68	578.80	326.3	80.8	407.1	41.8	25.7	37.2
2011-12	816.00	1000.00	216.5	52.8	269.3	25.7	13.7	21.9

स्रोत : नीति आयोग, * तेन्दुलकर पद्धति से अनुमानित

स्तरों पर दखल कार्रवाई करने की जरूरत होगी जिनमें खाद्य और पोषण, शिक्षा, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता, आवास, रोजगार, औद्योगिक और व्यावसायिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा, परिवार सामुदायिक सेवाएं, जनजातीय मामले और जन संचार समेत समग्र कल्याण के मुद्दे शामिल हों।

गरीबी

9.30 गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 2011-12 हेतु उपलब्ध हैं। इन अनुमानों को तेन्दुलकर समिति की पद्धति का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया है जिसमें एनएसएसओ द्वारा अपने अड़सठवें दौर (2011-12) में संकलित परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। सात वर्षों की अवधि में, गरीबी का विस्तार समग्र देश में 37.2 प्रतिशत से कम होकर 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गया है और इसमें ग्रामीण निर्धनों की संख्या में अधिक तीव्र गिरावट देखी गई है (सारणी 9.3)।

मानव विकास: अंतरराष्ट्रीय तुलना

9.31 मानव विकास रिपोर्ट 2014 (एच॰डी॰आर॰) तीन मूलभूत मानकों, यथा-स्वास्थ्य और दीर्घजीवन, शिक्षा और ज्ञान तथा समुचित जीवन स्तर जीने के आधार पर, 187 देशों के लिए मूल्यांकन और श्रेणीकरण का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। 2013 में भारत का एच॰डी॰आई॰ मूल्यांकन 0.586 रहा है जिसमें 187 देशों और क्षेत्रों में देश का 135वां स्थान रहा। ब्रिक्स देशों में यह सबसे नीचे रहा जिसमें रूस का स्थान 57, ब्राजील का 79, चीन का 91 और दक्षिण अफ्रीका का 118वां स्थान रहा। भारत बंगला देश और पाकिस्तान से थोड़ा ही आगे रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 और 2013 के बीच चीन ने अपना स्थान दस सीढ़ियां सुधार लिया है जबकि भारत ने सिर्फ एक सीढ़ी का ही सुधार किया (सारणी 9.4)। अत: इस अंतर को पाटने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है।

सारणी: 9.4: वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2013 में भारत का स्थान और प्रवृत्तियां

देश	एचडीआई 2013		रैंक में परिवर्तन		प्रति व्यक्ति	जन्म के	औसत	प्रत्याशित	आय असमानता		(जीआईआई)	
	मूल्य	रैंक	2012-13 की तुलना में	2008 और 2013 के बीच	सकल आय राष्ट्रीय 2013($)	समय जीवित वर्ष 2013	विद्यालयी वर्ष (वर्ष) 2012क	विद्यालयी वर्ष (वर्ष) 2012क	क्विंटाइल आय अनुपात 2003-12	जिनी घातांक 2003-12	मूल्य	रैंक
नार्वे	0.944	1	0	0	63,909	81.5	12.6	17.6	…	25.8	0.068	9
संयुक्त रा. अमरीका	0.914	5	0	-2	52,308	78.9	12.9	16.5	…	40.8	0.262	47
जर्मनी	0.911	6	0	-1	43,049	80.7	12.9	16.3	…	28.3	0.046	3
यू॰के॰	0.892	14	0	-2	35,002	80.5	12.3	16.2	7.2	36.0	0.193	35
रूसी परिसंघ	0.778	57	0	0	22,617	68.0	11.7	14.0	7.3	40.1	0.314	52
श्रीलंका	0.750	73	2	5	9,250	74.3	10.8	13.6	5.8	36.4	0.383	75
ब्राजील	0.744	79	1	-4	14,275	73.9	7.2	15.2	20.6	54.7	0.441	85
चीन	0.719	91	2	10	11,477	75.3	7.5	12.9	10.1	42.1	0.202	37
दक्षिण अफ्रीका	0.658	118	1	2	11,788	56.9	9.9	13.1	25.3	63.1	0.461	94
भारत	**0.586**	**135**	**0**	**1**	**5,150**	**66.4**	**4.4**	**11.7**	**5.0**	**33.9**	**0.563**	**127**
बंगलादेश	0.558	142	1	2	2,713	70.7	5.1	10.0	4.7	32.1	0.529	115
पाकिस्तान	0.537	146	0	-1	4,652	66.6	4.7	7.7	4.2	30.0	0.563	127
विश्व	**0.702**	-	-		**13,723**	**70.8**	**7.7**	**12.2**			0.451	-

स्रोत : एचडीआर 2014

टिप्पणी: $: जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) 2011 डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है।
जीआईआई लैंगिक असमानता सूचकांक है। एल.ई.बी. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है : आंकड़ा 2012 से संबंधित है अथवा हालिया उपलब्ध वर्ष से संबंधित है।

9.32 भारत का मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास समूह (0.614) और दक्षिण एशिया (0.588) दोनों के संदर्भ में भी देशों के औसत से कम है। 1980 और 2013 के बीच, भारत की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (एलईबी) में 11.0 वर्ष की वृद्धि हो गई है। औसत स्कूलिंग वर्ष में 2.5 वर्ष की वृद्धि हो गई और प्रत्याशित स्कूलिंग वर्षों में 5.3 वर्ष की वृद्धि हो गई है जबकि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 306.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्रिक्स राष्ट्रों और कुछेक पड़ोसी देशों के मुकाबले, भारत के औसत स्कूलिंग वर्ष सबसे कम होने की रिपोर्ट मिली है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा ही ऊपर रही। बांगलादेश जिसकी भारत के मुकाबले प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कम है, उसकी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और औसत स्कूलिंग वर्ष कहीं अधिक हैं। चीन ने, जिसका मानव विकास सूचकांक 1980 में भारत के मुकाबले थोड़ा ही अधिक था, 2013 में वह मार्जिन काफी बढ़ा दिया है। (सारणी 9.5)। भारत और विकसित देशों तथा कई विकासशील देशों के मुकाबले स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों में मौजूद अंतराल मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अत्यधिक तीव्र और व्यापक विस्तार की आवश्यकता को इंगित करता है, जैसा कि चीन और श्रीलंका से यह प्रदर्शित होता है।

9.33 लैंगिक समानता के संदर्भ में, एच॰डी॰आर॰ ने भारत को 0.563 सूचकांक (जीआईआई) के साथ 152 देशों में 127वां स्थान दिया है। 149 देशों के लिए जी॰आई॰आई॰ वह सीमा दर्शाता है जहां तक लैंगिक असमानता प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकारिता तथा श्रम बाजार में सहभागिता में हासिल उपलब्धियों को क्षय करता है। जी-20 देशों में विकासशील देशों के साथ भारत के विकास की तुलना करने पर पता चलता है कि लैंगिक समता की दृष्टि से भारत अपेक्षाकृत कमतर स्थिति में है। एच॰डी॰आई॰ के विपरीत, उच्चतर जी॰आई॰आई॰ मूल्य कमतर निष्पादन को दर्शाता है (सारणी 9.6)।

9.34 लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) जो पुरुष एचडीआई में प्रति महिला एचडीआई के अनुपात के रूप में परिभाषित है, मानव विकास के तीन मूलभूत आयामों यथा स्वास्थ्य (एलईबी), शिक्षण (बच्चों के लिए प्रत्याशित स्कूलिंग वर्ष और 25 वर्ष और ऊपर के आयु के वयस्कों के

सारणी 9.5 : चुनिंदा देशों का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) संघटक सूचकांक - 2013 और 1980

देश	एचडीआई 2013					एचडीआई 2013				
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	प्रत्याशित विद्यालयी वर्ष (वर्ष)	औसत विद्यालयी (वर्ष)	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ($)	एचडीआई मूल्य	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	प्रत्याशित विद्यालयी वर्ष (वर्ष)	औसत विद्यालयी (वर्ष)	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ($)	एचडीआई मूल्य
रूसी परिसंघ	68.0	14.0	11.7	22,617	0.778	67.4	12.2	7.1		
श्रीलंका	74.3	13.6	10.8	9,250	0.750	68.2	10.0	7.1	2,475	0.569
ब्राजील	73.9	15.2	7.2	14,275	0.744	62.7	9.9	2.6	9,154	0.545
चीन	75.3	12.9	7.5	11,477	0.719	67.0	8.4	3.7	690	0.423
दक्षिण अफ्रीका	56.9	13.1	9.9	11,788	0.658	56.9	11.1	4.8	9,756	0.569
भारत	**66.4**	**11.7**	**4.4**	**5,150**	**0.586**	**55.4**	**6.4**	**1.9**	**1,268**	**0.369**
बांगला देश	70.7	10.0	5.1	2,713	0.558	54.9	4.9	2.0	1,021	0.336
पाकिस्तान	66.6	7.7	4.7	4,652	0.537	58.0	3.7	1.8	2,376	0.356

स्रोत : एचडीआर 2014

टिप्पणी: $: जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) 2011 डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है।
एल.ई.बी. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है : आंकड़े 2012 से अथवा उपलब्ध नवीनतम वर्ष के आंकड़े हैं।

सारणी 9.6: चुनिंदा देशों के जी॰आई॰आई॰ संघटकों का सूचकांक, 2013

देश	लैंगिक समानता सूचकांक		एमएमआर 2010 (मृत्यु प्रति 1 लाख जीवित जन्म)	किशोरी जन्म दर 2010-2015 (प्रति हजार महिला 15-19)	संसद में महिला सीटों का हिस्सा 2013 (%)	कम से कम सैकेन्डरी शिक्षा के स्तर पर 25+ महिला सहभागिता 2005-12 (%)	कम से कम सैकेन्डरी शिक्षा के स्तर पर 25+ पुरुषों की न्यूनतम सहभागिता 2005-2012 (%)	15+ महिला श्रम बल सहभागिता दर 2012 (%)	15+ पुरुष श्रम बल सहभागिता दर 2012 (%)
	मूल्य 2013	रैंक 2013							
अर्जन्टीना	0.381	74	77	54.4	37.7	57.0	54.9	47.3	75.0
रूसी परिसंघ	0.314	52	34	25.7	12.1	89.6	92.5	57.0	71.4
ब्राजील	0.441	85	56	70.8	9.6	51.9	49.0	59.5	80.9
चीन	0.202	37	37	8.6	23.4	58.7	71.9	63.8	78.1
इण्डोनेशिया	0.500	103	220	48.3	18.6	39.9	49.2	51.3	84.4
दक्षिण अफ्रीका	0.461	94	300	50.9	41.1	72.7	75.9	44.2	60.0
भारत	**0.563**	**127**	**200**	**32.8**	**10.9**	**26.6**	**50.4**	**28.8**	**80.9**

स्रोत : एचडीआर 2014

लिए औसत वर्ष); और आर्थिक संसाधनों (अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय) पर नियंत्रण के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं को मापता है। देश की रैंकिंग मानव विकास सूचकांक में लैंगिक समानता से पूर्ण विचलन पर आधारित है। लैंगिक विकास सूचकांक की गणना 148 देशों के संदर्भ में की जाती है। भारत में पुरुषों के 0.63 के मुकाबले महिला मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.52 है, जिसके परिणामस्वरूप लैंगिक विकास सूचकांक मूल्य 0.828 रहा। इसकी तुलना में, बांगलादेश और चीन का लैंगिक विकास सूचकांक क्रमश: 0.908 और 0.939 रहा है (सारणी 9.7)।

9.35 इस प्रकार, हालांकि भारत एचडीआई में सभी देशों के निम्नतम 25 प्रतिशत में है, तथापि, जीआईआई के संबंध में यह निम्नतम 20 प्रतिशत में है। ये आंकड़े भारत में लैंगिंक असमानता के उच्च स्तर को और भारतीय समाज में महिलाओं और लड़कियों की कमतर हैसियत को दर्शाते हैं। भारत, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव और असमानताओं को समाप्त करने के अभिसमय (सी॰ई॰डी॰ए॰डब्ल्यू॰) का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश रहा है। यह अभिसमय महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार-पत्र के तौर पर माना जाता है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को परिभाषित किया गया है और साथ ही, महिलाओं के अधिकारों के हनन को रोकने की दिशा में राष्ट्रीय कार्यक्रम का एजेंडा तय किया गया हे। सीईडीएडब्ल्यू का अहम घटक प्रजनन के संबंध में महिला अधिकार पर भरपूर बल देना है जिसमें परिवार नियोजन में महिला की बराबर की हकदारी, बच्चों की संख्या तय करने और उनके बीच वर्षों का अंतर निर्धारित करने का हक भी शामिल है। दुर्भाग्यवश भारत में अवांछित प्रजनन को रोकने के लिए महिलाओं के ऑपरेशन पर बहुत जोर दिया जाता है; अत: 2013-14 में सभी आपरेशनों में महिला बंध्यीकरण ऑपरेशन का हिस्सा बहुत अधिक 97.5 प्रतिशत (1980 के दशक के 78.6 प्रतिशत से उछलकर) पर पहुंच गया। यह तथ्य महिला अधिकारिता और लैंगिंक समता के हमारे घोषित लक्ष्यों के खिलाफ जाता है। भारत में गर्भ निरोध के लिए, 75 प्रतिशत महिला बंध्यीकरण ऑपरेशन होते हैं। इतनी अधिक दर आज विश्व में किसी भी अन्य देश में नहीं पाई जाती। एकमात्र लैटिन अमरीका ऐसा क्षेत्र है जहां गर्भ निरोधक-उपायों में 40 फीसदी संख्या बंध्यीकरण की है।

9.36 चिंता का एक और सबब शिशु लिंग अनुपात में हो रही लगातार गिरावट है, (सी॰एस॰आर॰- 0-4 अथवा 0-6 वर्ष आयु वर्ग के प्रति हजार बालकों में बालिकाओं का अनुपात) जो 1961 में 976 था, गिरकर 2011 में 918 हो गया; एस॰आर॰एस॰ (2013) रिपोर्ट में 2011-13 के लिए 909 का आंकड़ा दर्शाया गया है। वैश्विक तौर पर, सी॰एस॰आर॰ का आकलन प्रति 100 बालिकाओं पर बालकों की संख्या से निकाला जाता है। इसी तरह, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सी॰एस॰आर॰ (0-14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति सौ बालिकाओं में बालकों की संख्या) 2012 में 110 थी जो प्राकृतिक स्थितियों में मान्य लिंग अनुपात (105) से कहीं ज्यादा है। हालांकि चीन का सीएसआर 2010 के 121 से गिरकर 2012 में 117 हो गया, इसी अवधि में भारत का सीएसआर 109 से बढ़कर 111 हो गया। चित्र 9.4 में एशिया के चुनिंदा देशों में 1990 और 2012 के बीच व्याप्त शिशु लिंग अनुपात की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

9.37 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1993 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया था ''लैंगिक आधार पर की जाने वाली हिंसा का कोई भी ऐसा कार्य, जिसकी परिणति किसी महिला के शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हानि या उत्पीड़न में होती हो। परिणामस्वरूप, विवाहित/वयस्क महिलाओं के प्रति हिंसा के साथ-साथ बालिका मृत्युदर का अत्यधिक होना, बालिका हत्या और बाल-विवाह भी महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा में रखे गए हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए) का क्रियान्वयन भी बहुत लचर है क्योंकि उन्नीस राज्यों ने इस बारे में कोई भी योजनाबद्ध स्कीम नहीं बनाई है।

सारणी 9.7 : चुनिंदा देशों में जीडीआई संघटक सूचकांक, 2013

देश	जीडीआई 2013		एचडीआई मूल्य 2013		जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2013		औसत विद्यालयी वर्ष 2002-2012		प्रत्याशित विद्यालयी वर्ष 2002-2012		प्रत्याशित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2013	
	एचडीआई 2013 का महिला: पुरुष अनुपात	रैंक	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
श्रीलंका	0.961	66	0.72	0.75	77.4	71.2	10.7	9.4	13.9	13.4	5078	13616
चीन	0.939	88	0.70	0.74	76.7	74.1	6.9	8.2	13.0	12.8	9288	13512
भारत	**0.828**	**132**	**0.52**	**0.63**	**68.3**	**64.7**	**3.2**	**5.6**	**11.3**	**11.8**	**2277**	**7833**
बांगलादेश	0.908	107	0.53	0.58	71.5	69.9	4.6	5.6	10.3	9.7	1928	3480
पाकिस्तान	0.750	145	0.45	0.60	67.5	65.7	3.3	6.1	6.9	8.4	1707	7439

स्रोत : एचडीआर 2014

टिप्पणी: $: जीएनआई (सकल राष्ट्रीय आय) 2011 डालर क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) पर आधारित है।
जीआईआई लैंगिक विकास सूचकांक है। एल.ई.बी. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है : आंकड़ा 2012 से संबंधित है अथवा हालिया उपलब्ध वर्ष से संबंधित है।

चित्र 9.4: चुनिंदा एशियाई देशों में शिशु लिंग अनुपात की प्रवृत्तियां

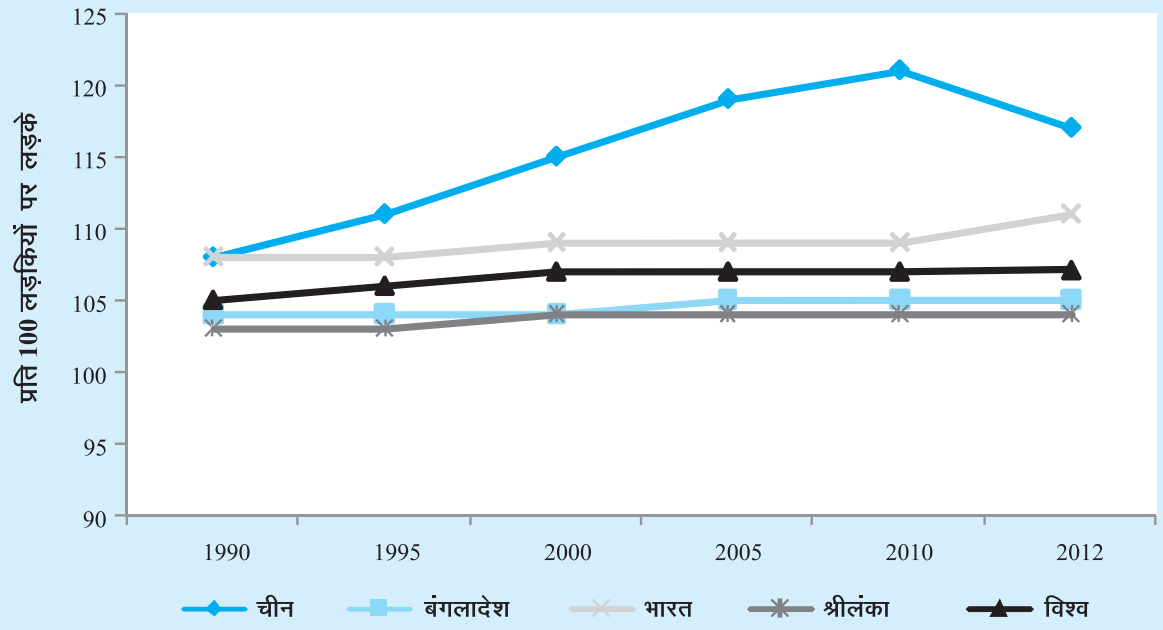

स्रोत : एशिया तथा प्रशांत के लिए सांख्यिकीय वार्षिकी 2013

9.38 बालिकाओं की उत्तरजीविता और संरक्षण तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' (बीबीबीपी) नामक की एक अभिनव स्कीम 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा, जिसे कि देश में न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात सी॰एस॰आर॰-835 (एस॰आर॰एस॰ 2013) वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है, के पानीपत जिले में शुरू की गई। इसका उद्देश्य लगातार घटते शिशु लिंग अनुपात के मामले के बारे में लोगों की मन:स्थिति बदलने और इसकी गंभीरता को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक अभियान चलाकर इस मसले का समाधान करना है। बीबीबीपी कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य शिशु के लिंग का पता लगाकर भ्रूण हत्या रोककर, उत्तरजीविता और भेद-भाव से सुरक्षा तथा बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करके बालिका शिशु के जन्म दर खुशियां मनाने और उसे पढ़ने-लिखने की सुविधा मुहैया कराना है।

9.39 राज्यों के चुनिंदा सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों की तुलना परिशिष्ट सारणी 9.8 में दी गई है।

समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना

9.40 भारतीय विकास योजना का केन्द्र ऐसे कार्यक्रम और नीतियां को तैयार करना रहा है जिनका उद्देश्य समाज के हाशिए पर पहुंच चुके और गरीब वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना होता है। सरकार सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए ऐसे कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही है। लाभों के संवितरण हेतु एक सुव्यवस्थित मार्ग की आवश्यकता होती है जो वित्तीय अधिकारिता प्रदान करें और मॉनीटरिंग को सरल बनाएं तथा स्थानीय निकायों को अधिक जवाबदेह बनाए। 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और रुपे कार्ड, जो भुगतान का एक साधन है, इस संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये दो योजनाएं सहायक स्वरूप की हैं और वित्तीय समावेशन, बीमा की पैठ और डिजिटाइजेशन जैसे बहु-उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेंगी।

9.41 सरकार ने जमीनी अनुभव के आधार पर चल रहे कई कार्यक्रमों को पुनर्संरचित और सुव्यवस्थित किया है ताकि उन्हें आवश्यकता-आधारित बनाया जा सके। इन्हें परिशिष्ट पृष्ठ ।141-145 में सूचीबद्ध किया गया है। विभिन्न सामाजिक अवसंरचना और मानव विकास कार्यक्रमों के समन्वित कार्यकरण को सुसाध्य बनाने हेतु, सरकार ने संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) की शुरूआत की है जिसे मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के विलयन और कार्यान्वयन के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, वन-बंधु कल्याण योजना का कार्यान्वयन पांचवी अनुसूची के क्षेत्र वाले दस राज्यों के एक-एक ब्लाक में किया जाएगा।

9.42 समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वित अनेकानेक योजनाओं को देखते हुए, पंचायती राज

बॉक्स 9.5 : ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता

संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भारत में शासन के विकेन्द्रीकरण, योजना और विकास के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी क्योंकि इसमें देश के संघीय ढांचे में महिलाओं और हाशिए पर रह रहे तबकों के लोगों के लिए यथोचित गुंजाइश बनाने के साथ-साथ उपयुक्त शक्ति और प्राधिकार देकर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को शासन का तीसरा केन्द्र बनाया गया था। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 जिसे विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है, का प्रावधान करके लोकतंत्र का विकेन्द्रकरण पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में किया गया था, जिससे ग्राम सभा को न केवल एक सुदृढ़ निकाय बनाया गया था बल्कि जल, जंगल और जमीन को भी इसके नियंत्रण में दे दिया गया था। लेकिन इन केन्द्रीय अधिनियमों में पंचायतों और नगर पालिकाओं की शक्तियां स्पष्ट करने की बजाय राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई थीं। इन अधिनियमों का अनुच्छेद 243छ और 243ब में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की विधायिका कानून द्वारा पंचायतों/नगर पालिकाओं के वे अधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो उसकी दृष्टि में स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी हों। ऐसे कानून में, शक्तियों के अन्तरण और पंचायतों/नगर पालिकाओं के दायित्वों हेतु प्रावधान सन्निहित किए जा सकते है जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु उन्हें सौंपी जा सकने वाली स्कीमों की योजना-निर्माण और कार्यान्वयन के संदर्भ में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन हों। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित और संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में यथानिर्दिष्ट मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली योजनाओं और स्कीमों को शामिल किया जा सकता है।

संविधान के 74वें संशोधन से अनुच्छेद 243यघ के जरिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति (डीपीसी) का गठन किया जाना जन सहभागिता के साथ विकेन्द्रीकृत योजना की दिशा में एक मील का पत्थर है। ये समितियां जिलों में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती हैं और समग्र जिले के लिए विकास का खाका तैयार करती हैं। ज्यादातर राज्यों में डीपीसी का गठन हो चुका है। इन पंचायत अधिनियमों का ज्यादातर कार्यान्वयन अर्थात पंचायतों/शहरी स्थानीय सरकारों के साथ सत्ता साझा करना, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया हैं, कई वर्षों से कार्यकलाप, वित्त साधनों और क्रियाविधि के संदर्भ में पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों का, योजनाएं और सूचीबद्ध विषयों को तैयार करने के संदर्भ में सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है।

इन संशोधन अधिनियमों में सरकारी नारे ''विनियमन कम - अभिशासन अधिक'' (लेस गवर्नमेंट-मोर गवर्नेंस) का संदेश पहुंचाने का एक सच्चा संवाहक बनने की क्षमता है, यदि सभी राज्य सरकारों में इसे अपनाने के लिए आम सहमति का एक माहौल बनाया जाए। पंचायत/नगर पालिका केंद्रित कार्यक्रमों के परिव्ययों को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त रुपेण जागरूक, उत्तरदायी और जिम्मेदार बनना होगा जो इन कार्यक्रमों को आम आदमी के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने में भी समर्थ बनाएगा। पंचायतों/नगर पालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रकार्यों, वित्तसाधनों और कार्यकर्ताओं के संबंध में शक्तियों का वृहतर अंतरण दिए जाने की आवश्यकता है। अधिकतर पंचायत/नगर पालिका केंद्रित कार्यक्रमों के लिए जागरूकता फैलाने और क्षमता निर्माण हेतु निर्धारित निधियां होती हैं। सभी मंत्रालयों में इस निधियों को पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक साथ पूल किए जाने की आवश्यकता है ताकि पंचायतों के अवसंरचना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनवरत और नियमित प्रक्रिया का रूप ले सकें। इससे पंचायतों/नगर पालिकाओं को न केवल अपनी भूमिका और अधिकारों बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने में मदद मिलेगी और विकेंद्रीकृत स्तर पर शासन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जवाबदेह बन पाएंगे। सरकार द्वारा दिए जाने वाली ऐसी सहूलियतें पंचायतों/नगर पालिकाओं को सकारात्मक और गतिशील संस्था बना देंगी और उन्हें भागीदारी योजना, कार्यान्वयन, निष्पादन, मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण में उनकी परिकल्पित भूमिका का निष्पादन करने में समर्थ बनाएगी। इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन सहित सभी पंचायत/नगर पालिका केंद्रित कार्यक्रमों का सामाजिक परीक्षण संभव हो पाएगा।

संस्थाओं और शहरी स्थानीय सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है (बॉक्स 9.5)।

मानव आबादी के लाभ और संबंधित नीतिगत दख़ल कार्रवाई

9.43 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में गिरती जनसंख्या का प्रभाव बुनियादी शिक्षा (5-14 वर्ष की आयु) और उच्चत्तर शिक्षा (15-29 आयु) दोनों पर पड़ेगा। बुनियादी शिक्षा को आगे प्राथमिक शिक्षा (5-9 वर्ष की आयु), माध्यमिक/अपर प्राथमिक (10-14 वर्ष की आयु) में उप-विभाजित किया जा सकता है। प्रभाव का पहला चरण प्राथमिक विद्यालयों में घटते दाखिलों से पता चलेगा। जैसेकि पहले कहा जा चुका है कि 2013-14 में प्राइमरी स्कूलों में कुल दाखिला कम हुआ है जबकि अपर प्राइमरी में दाखिले का प्रतिशत बढ़ा है। भारत का निर्भरता अनुपात जो 2010 में 54 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2020 में 49 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस आधार पर, अंतर-राज्यीय असमानता को देखते हुए, जो राज्य इन स्थितियों का पहले से ही सामना कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता होगी, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की बजाय, इन बातों पर केंद्रित किया जाए (i) सीनियर विद्यार्थियों की

उच्च ड्रॉपआउट दरों पर विचार करते हुए, शिक्षा सुलभता में सुधार करना; (ii) लैंगिक असमानता को दूर करना खासकर उच्च आयु वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में और (iii) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना विशेषतया गिरते पठन-पाठन स्तरों की दृष्टि से छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार और विद्यालयों में सुविधाओं का प्रावधान करना भी शमिल है।

9.44 विभिन्न राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय संक्रमण में व्याप्त अंतराल, मानव आबादी के अधिकतम लाभ बटोरने के लिए प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकतानुसार नीतियां बनाना आवश्यक कर देता है। पिछले दो दशकों के दौरान, दक्षिण भारत में जनन क्षमता में काफी अधिक गिरावट हो जाने के कारण, दक्षिण भारत, उत्तर भारत के मुकाबले, जनसांख्यिकीय संक्रमण में आगे हैं, इसके परिणामत: उत्तर के राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्यों में रास्ते पहले ही खुले हैं। उदाहरणार्थ, वर्ष 2020 में जनसंख्या की अनुमानित औसत आयु जो 29 वर्ष मानी गई है, की तुलना में केरल (औसत आयु 33 वर्ष), गोवा (32.3), तमिलनाडु (31.3); हिमाचल प्रदेश (30.4), पंजाब (29.9), आंध्र प्रदेश (29.3) और पश्चिम बंगाल (29.1) जैसे कुछेक राज्य इससे आगे जा चुके हैं। सबसे कम और सबसे अधिक औसत आयु वाले पांच-पांच राज्यों की तुलना चित्र 9.5 में दिखाई गई है।

9.45 भारत में राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय संक्रमण-में व्याप्त यह अंतराल गिरती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इस संबंध में भारत अधिकतर देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इस प्रकार, वे राज्य जो पहले से ही जनसांख्यिकीय लाभ की स्थिति में हैं, उन्हें पहले से बढ़ते हुए श्रम बल के लिए रोजगार सृजन की नीतियों का सक्रिय रूप से अनुसरण करना चाहिए, जबकि वे राज्य जो अभी इस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं, उनके पास योजना बनाने का कुछ समय है और उन्हें अब से शिक्षा, स्वास्थ्य (प्रजनन स्वास्थ्य सहित) लिंग आधारित विषयों और रोजगार सृजन जैसे कई क्षेत्रों में एक साथ नीतियों का अनुसरण करना होगा ताकि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठा सकें।

चित्र 9.5: भारत में शीर्ष 5 नए और पुराने राज्यों में औसत आयु की तुलना 2001 और 2011

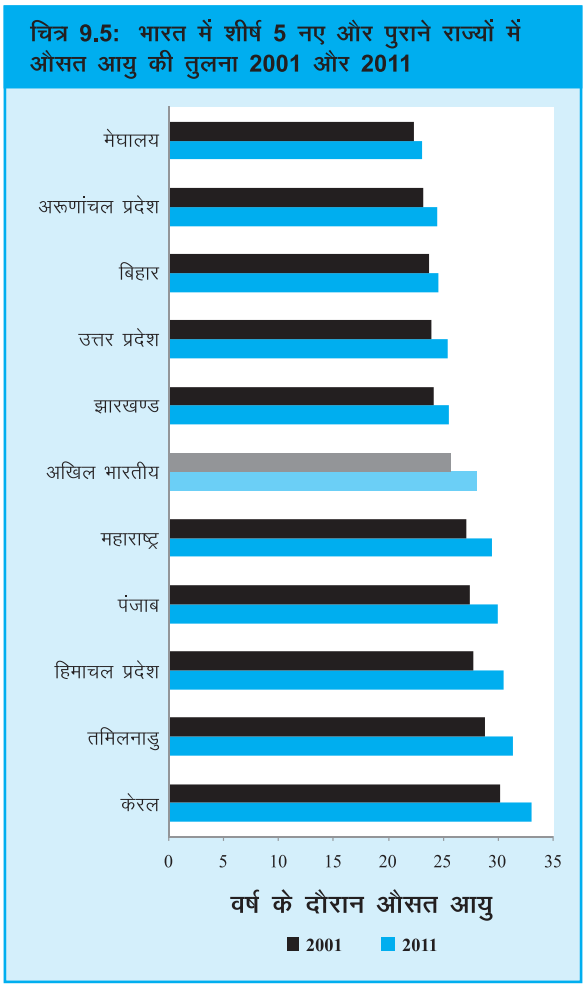

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011 पर आधारित

भारत के सामाजिक क्षेत्र में हुए व्यय की प्रवृत्तियां

9.46 कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार (केंद्र और राज्यों) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किए गए व्यय पर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े भी मिश्रित रूझान भी दर्शाते रहे हैं। यह 2010-11 के 24 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 22 प्रतिशत हो गया था लेकिन बढ़कर 2013-14 (सं॰अनु॰) में 24.1 प्रतिशत हो गया और फिर से गिरकर 2014-15 (ब॰अनु॰) में 22.3 प्रतिशत पर आ गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2009-10 के 6.9 प्रतिशत से गिरकर 2014-15 (ब॰अनु॰) में 6.7 प्रतिशत रह गया, जब शिक्षा पर व्यय 3.0 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य पर व्यय 1.4 प्रतिशत घटकर 1.2 प्रतिशत रह गया। सामान्य सरकार (केंद्र+राज्यों) द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर किए गए सम्पूर्ण व्यय में लगातार वृद्धि जारी रही, यहां तक कि 2008-09 के वैश्विक संकट में भी और 2011-12 में यूरो क्षेत्र संकट के समय भी। यह व्यय 2008-09 के दौरान ₹ 3,80,628 करोड़ रहा और बढ़कर 2011-12 में ₹ 5,80,868 करोड़ हो गया तथा और बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 8,68,476 करोड़ (ब॰अनु॰) हो गया। (परिशिष्ट सारणी 9.9)।

9.47 भारत में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पर किया जाने वाला सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.2 प्रतिशत है जो कुल सरकारी व्यय का लगभग 4 प्रतिशत है और यह कुल स्वास्थ्य व्यय के 30 प्रतिशत से कम है।

जनस्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय का न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर पाना स्वास्थ्य संबंधी वांछित परिणाम प्राप्त करने में एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण बाधा रही है। हालांकि यह जरूरी है कि तेजी से बढ़ते निजी क्षेत्र के विकास और क्षमता को स्वीकारा जाए, फिर भी अन्तरराष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य संबंध परिणाम और वित्तीय संरक्षण जन स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय के निरपेक्ष और सापेक्ष स्तरों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।

निष्कर्ष

9.48 चूंकि महिलाएं भारत की आबादी का लगभग 48 प्रतिशत (जनगणना 2011) हिस्सा है, इसलिए यह जरूरी है कि सामाजिक-आर्थिक माहौल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए आबादी के बड़े हिस्से की पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है और सरकार को उपयुक्त नीतियां अपनाकर यह बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ''डूइंग बिजनेस'' रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों की श्रेणी में शामिल होना भारत का लक्ष्य है; साथ ही इसे मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) के शीर्ष 50 देशों की श्रेणी में शामिल होने का भी प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का निम्न स्तर और कौशल में कमी अधिकांश कार्यबल के निम्न आय स्तरों के लिए उत्तरदायी है, जिससे लोगों के बीच असमानता पनपती रही है। परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा कौशल विकास पर जोर देना और साथ ही 'मेक इन इंडिया' ऐसे प्रयास हैं जिनका उद्देश्य रोजगारपरकता में सुधार लाना और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। चूंकि जनसांख्यिकीय भविष्यवाणियां यह चेतावनी देती हैं कि मानव आबादी के लाभ का यह आश्वासन बहुत समय तक, और किसी भी हालत में 2050 से आगे नहीं चलेगा, इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि अगले दो दशकों में इस जनसांख्यिकीय अवसर का लाभ उठाए। देश के समक्ष अब चुनौती इस बात की है कि वह अपने जनसांख्यिकीय ''बोझ'' को विकास के अधिक अवसरों में बदलने के लिए योजना बनाए और इस दिशा में कार्य करे। ऐसा जनशक्ति के स्तर को, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के नियोक्ताओं (कृषि से इतर, उद्योग और सेवा-क्षेत्र) की ज़रूरतों से जोड़ कर किया जा सकेगा। समय की मांग है कि इन सपनों को साकार करने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में इस्तेमाल करके ''जमीनी स्तर से विकास करने'' का रास्ता अपनाया जाए।